कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	101564.44	8.10	101572.54	115489.37	42.42	115531.79	216351.59	87.72	216439.31	222186.15	95.64	222281.79
वसूलियां	*-1695.53*	...	*-1695.53*	...	...	...	*-99650.35*	...	*-99650.35*	*-104753.00*	...	*-104753.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**99868.91**	**8.10**	**99877.01**	**115489.37**	**42.42**	**115531.79**	**116701.24**	**87.72**	**116788.96**	**117433.15**	**95.64**	**117528.79**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	152.93	...	152.93	235.89	3.90	239.79	180.78	11.87	192.65	248.41	14.30	262.71
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	44.72	...	44.72	45.92	...	45.92	58.00	...	58.00	...	...	...
1.03 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	368.20	8.10	376.30	1081.14	38.52	1119.66	943.74	75.85	1019.59	455.92	81.34	537.26
जोड़- सचिवालय	*565.85*	*8.10*	*573.95*	*1362.95*	*42.42*	*1405.37*	*1182.52*	*87.72*	*1270.24*	*704.33*	*95.64*	*799.97*
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. फसल बीमा योजना												
2.01 कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में स्थानांतरण	...	...	...	...	...	...	15000.00	...	15000.00	14600.00	...	14600.00
2.02 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	10296.03	...	10296.03	13625.00	...	13625.00	15000.00	...	15000.00	14600.00	...	14600.00
2.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-15000.00	...	-15000.00	-14600.00	...	-14600.00
निवल	*10296.03*	...	*10296.03*	*13625.00*	...	*13625.00*	*15000.00*	...	*15000.00*	*14600.00*	...	*14600.00*
3. संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)												
3.01 कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अंतरण	...	...	...	...	...	...	18500.00	...	18500.00	22600.00	...	22600.00
3.02 संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	17997.88	...	17997.88	23000.00	...	23000.00	18500.00	...	18500.00	22600.00	...	22600.00
3.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-18500.00	...	-18500.00	-22600.00	...	-22600.00
निवल	*17997.88*	...	*17997.88*	*23000.00*	...	*23000.00*	*18500.00*	...	*18500.00*	*22600.00*	...	*22600.00*
4. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	4007.00	...	4007.00	0.01	...	0.01	40.00	...	40.00	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा)	...	...	...	0.01	...	0.01	2200.00	...	2200.00	1737.50	...	1737.50
6. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण	166.21	...	166.21	800.00	...	800.00	446.30	...	446.30	0.01	...	0.01
7. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)												
7.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	60000.00	...	60000.00	60000.00	...	60000.00
7.02 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	58253.82	...	58253.82	60000.00	...	60000.00	60000.00	...	60000.00	60000.00	...	60000.00
7.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-60000.00	...	-60000.00	-60000.00	...	-60000.00
निवल	*58253.82*	*...*	*58253.82*	*60000.00*	*...*	*60000.00*	*60000.00*	*...*	*60000.00*	*60000.00*	*...*	*60000.00*
8. प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना	12.50	...	12.50	100.00	...	100.00	138.00	...	138.00	100.00	...	100.00
9. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	124.19	...	124.19	955.00	...	955.00	450.00	...	450.00	581.67	...	581.67
10. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	147.12	...	147.12	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
11. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	...	...	...	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00
12. उत्पाद मूल्य चक्र संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62.50	...	62.50
13. नमो ड्रोन दीदी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
14. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	...	...	...	...	...	...	4500.00	...	4500.00	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**91004.75**	**...**	**91004.75**	**98980.03**	**...**	**98980.03**	**101924.30**	**...**	**101924.30**	**100856.69**	**...**	**100856.69**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
15. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	5.34	...	5.34	56.44	...	56.44	37.60	...	37.60	50.00	...	50.00
स्वायत्त निकाय												
16. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	17.57	...	17.57	16.50	...	16.50	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
17. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	4.80	...	4.80	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50
18. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	2.75	...	2.75	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
19. नारियल विकास बोर्ड	...	...	...	39.13	...	39.13	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
20. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	...	...	...	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	20.99	...	20.99
जोड़-स्वायत्त निकाय	**25.12**	**...**	**25.12**	**89.13**	**...**	**89.13**	**93.00**	**...**	**93.00**	**89.49**	**...**	**89.49**
अन्य												
21. कृषि गणना	...	...	...	80.00	...	80.00	85.00	...	85.00	50.00	...	50.00
22. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	...	...	...	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	230.00	...	230.00
23. आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र	...	...	...	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
24. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62.00	...	62.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**325.00**	**...**	**325.00**	**335.00**	**...**	**335.00**	**367.00**	**...**	**367.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**30.46**	**...**	**30.46**	**470.57**	**...**	**470.57**	**465.60**	**...**	**465.60**	**506.49**	**...**	**506.49**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
25. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना												
25.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	6150.35	...	6150.35	7553.00	...	7553.00
25.02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5247.43	...	5247.43	7150.35	...	7150.35	6150.35	...	6150.35	7553.00	...	7553.00
25.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-6150.35	...	-6150.35	-7553.00	...	-7553.00
निवल	*5247.43*	*...*	*5247.43*	*7150.35*	*...*	*7150.35*	*6150.35*	*...*	*6150.35*	*7553.00*	*...*	*7553.00*
26. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	...	...	...	459.00	...	459.00	100.00	...	100.00	365.64	...	365.64
27. कृषोन्नति योजना												
27.01 खाद्य और पोषण सुरक्षा	841.69	...	841.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.02 खाद्य तेल-तेल पाम	152.58	...	152.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.03 खाद्य तेल तिलहन	278.45	...	278.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	144.43	...	144.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.05 उद्यान कृषि का समेकित विकास	1189.69	...	1189.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.06 बीज एवं पौधरोपण	191.94	...	191.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.07 कृषि विस्तार	741.06	...	741.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.08 डिजिटल कृषि	21.24	...	21.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.09 कृषि गणना एवं सांख्यिकी	288.10	...	288.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.10 कृषि विपणन	866.77	...	866.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- कृषोन्नति योजना	*4715.95*	*...*	*4715.95*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. कृषोन्नति योजना	...	...	...	7066.47	...	7066.47	6378.47	...	6378.47	7447.00	...	7447.00
29. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...
30. वास्तविक वसूली	-1695.53	...	-1695.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**8267.85**	**...**	**8267.85**	**14675.82**	**...**	**14675.82**	**13128.82**	**...**	**13128.82**	**15365.64**	**...**	**15365.64**
कुल जोड़	***99868.91***	***8.10***	***99877.01***	***115489.37***	***42.42***	***115531.79***	***116701.24***	***87.72***	***116788.96***	***117433.15***	***95.64***	***117528.79***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	74176.82	...	74176.82	71378.94	...	71378.94	77114.55	...	77114.55	72775.28	...	72775.28
2. मृदा और जल संरक्षण	33.56	...	33.56	36.60	...	36.60	38.72	...	38.72	35.75	...	35.75
3. कृषि वित्तीय संस्थान	17894.64	...	17894.64	21050.00	...	21050.00	17650.00	...	17650.00	20700.00	...	20700.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. अन्य कृषि कार्यक्रम	1902.59	...	1902.59	2498.66	...	2498.66	2317.73	...	2317.73	1768.86	...	1768.86
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	152.87	...	152.87	235.89	...	235.89	180.78	...	180.78	248.41	...	248.41
6. फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.10	8.10	...	37.02	37.02	...	64.60	64.60	...	71.84	71.84
7. मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	6.28	6.28	...	4.25	4.25
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.50	1.50	...	4.97	4.97	...	5.25	5.25
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.90	3.90	...	11.87	11.87	...	14.30	14.30
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**94160.48**	**8.10**	**94168.58**	**95200.09**	**42.42**	**95242.51**	**97301.78**	**87.72**	**97389.50**	**95528.30**	**95.64**	**95623.94**
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	11552.35	...	11552.35	11789.12	...	11789.12	11939.46	...	11939.46
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	5709.70	...	5709.70	8326.57	...	8326.57	7522.28	...	7522.28	9809.96	...	9809.96
12. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-1.27	...	-1.27	410.36	...	410.36	88.06	...	88.06	155.43	...	155.43
जोड़-अन्य	**5708.43**	**...**	**5708.43**	**20289.28**	**...**	**20289.28**	**19399.46**	**...**	**19399.46**	**21904.85**	**...**	**21904.85**
कुल जोड़	**99868.91**	**8.10**	**99877.01**	**115489.37**	**42.42**	**115531.79**	**116701.24**	**87.72**	**116788.96**	**117433.15**	**95.64**	**117528.79**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम; विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अधीन विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को वापस लेने के बाद दिनांक 01.04.2016 से शुरू की गई। विभाग ने निर्देशित प्रीमियम और दावा-समर्थन बीमा योजनाओं के स्थान पर बीमांकिक प्रीमियम-आधारित प्रणाली के लिए अग्रिम सब्सिडी कर दिया है।

3. **संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस):** संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 9% की बेंचमार्क दर पर 3 लाख तक का अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध है। भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छूट प्रदान करती है। किसानों को ऋण की त्वरित और समय पर चुकौती के लिए अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। फंड कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् आरआरबी/सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई को जारी किया जाता है।

4. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाऊसिंग निगम, राष्ट्रीय भारतीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ -साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें। नेफेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, छोटे किसान कृषि व्यवसाय परिसंघ को मूल्य समर्थन योजना के तहत तिलहन और दहलन की खरीद करने और किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मुहैया कराने हेतु कार्य करने के लिए भी केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

5. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा):** प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन और खोपरा, भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) की प्रायोगिक परियोजना सहित किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है।

6. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दाल का वितरण:** यह योजना मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम मूल्य से 15/- रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी की पेशकश करके मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए दलहन के विशाल स्टॉक के निपटान के लिए है।

7. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** देशभर के सभी किसान परिवारों को आय सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें अपने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ ही घरेलू जरूरतों संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों के परिवारों को 2000/- रुपए की तिमाही किस्तों द्वारा कुल 6000/- रूपए का वार्षिक भुगतान करना है जो कतिपय उच्चतर आय वर्गों से संबंधित अपवादों के अधीन होगा। लगभग 12.50 करोड़ किसान परिवारों को इस योजना के दायरे में लाए जाने की संभावना है।

8. **प्रधानमंत्री किसान मान - धन योजना:** लघु और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की व्यवस्था करने की दृष्टि से, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए मामूली या शून्य बचत होती है और बाद में उनकी आजीविका का साधन नहीं रह जाता, तब उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक और नई केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित की है, जिसके तहत इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र छोटेऔर सीमांत किसानों को 3000 रूपए प्रति माह की न्यूनतम नियत पेंशन प्रदान की जाएगी जो कतिपय अपवादी नियमों के अधीन होगी। इस स्कीम का उद्देश्य प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 3 करोड़ लाभग्राहियों को इसके दायरे के अंतर्गत लाना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।

9. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** यह योजना सदस्य किसान उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर नकदी और बाजार संपर्क के माध्यम से लागत प्रभावी उत्पादकता और उच्च निवल आय बढ़ाने में योगदान देगी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से संधारणीय किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनने में मदद करेगी।

10. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को 8.7.2020 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया था ताकि फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश करने हेतु मध्यम-दीर्घावधि ऋण का वित्तपोषण ब्याज छूट एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सके। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्स), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व–सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केन्द्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजना के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी बीमा उपलब्ध होगा। इस बीमा के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम):** एनबीएचएम को 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। मार्च 2023 के अंत तक 160000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या को 42 लाख तक बढ़ाना, लगभग 4.60 लाख का रोजगार पैदा करना और शहद से आय में वृद्धि और फसलों की उपज में वृद्धि का लक्ष्य होगा। मुख्य घटकों/उप-योजनाओं के रूप में एनबीएचएम के 3 मिनी मिशन हैं।

12. **उत्पाद मूल्य चक्र संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्टअप्स की गतिविधियों में अन्य बातों के अलावा, कृषि स्तर पर किराये के आधार पर किसानों के लिए मशीनरी और एफपीओ के लिए आईटी-आधारित समर्थन सहित प्रौद्योगिकी शामिल होगी।

13. **नमो ड्रोन दीदी:** इस योजना का लक्ष्य 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान कृषि प्रयोजनों लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

14. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** इस योजना का उद्देश्य पीएम-किसान योजना (2000 करोड़ रुपये), पीएमएफबीवाई (1500 करोड़ रुपये) और एमआईएसएस (1000 करोड़ रुपये) के कार्यात्मक शीर्षों से कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) को 45,00 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करना है।

15. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

16. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** यह संस्थान विविध और बदलती हुई कृषि–जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं क्षिप्राक्रमण प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए कार्यरत है।

17. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुकर बनाता है ताकि वे संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

18. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालो को परामर्श और नीतिगत समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

19. **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

20. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है। बोर्ड के व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य एकीकृत हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/केंद्र विकसित करना, कटाई के बाद और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों के अंगीकरण इत्यादि को बढ़ावा देना है।

21. **कृषि गणना:** कृषि गणना कृषि सांख्यिकी के संग्रहण की एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पन्न के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय संचालन है।

22. **कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी:** इस योजना का समग्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का एक डेटाबेस एकत्र करना, संकलित करना और बनाए रखना, कृषि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण करना और नीतिगत सुझाव देना है।

23. **आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र:** आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र एक क्षेत्रीय सुविधा है जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के संस्थानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रशिक्षण और सेवा प्रावधान में सहायता करता है।

24. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक राशि एफएओ और यूएनडब्ल्यूएफपी को आवंटित की जाती है।

25. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हासिल करने, किसानों को अधिक लाभ मुहैया कराने और खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, तिलहनों के उत्पादन और कृषि विस्तार पर ध्यान केंद्रित करके समेकित विकास का एक कार्यक्रम है। इस योजना का पुनर्गठन किया गया है और पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन, फसल अवशेषों के प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन आदि को आरकेवीवाई में विलय कर दिया गया है।

26. **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन:** प्राकृतिक खेती संबंधी राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के प्रलेखन और प्रसार के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करना है, खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन रणनीति में भागीदार बनाना, क्षमता निर्माण और निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना और अंत में प्रणाली की योग्यता के आधार पर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आकर्षित करना है। प्राकृतिक खेती संबंधी राष्ट्रीय मिशन का मूल उद्देश्य बाहरी खरीदे गए आदानों से खेती की वैकल्पिक प्रणाली को बढ़ावा देना, लागत में कमी करना और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि करना है।

28. **कृषोन्नति योजना:** कृषोन्नति योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना है ताकि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर मुनाफा बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। मूल रूप से, यह योजना उत्पादन के बुनियादी ढांचे को बनाने या मजबूत करने, उत्पादन लागत को कम करने और कृषि और संबद्ध उत्पादों के विपणन पर ध्यान केंद्रित करती है।

29. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** इस योजना के अंतर्गत, आरकेवीवाई योजना के कार्यात्मक शीर्षों से कृषि अवसंरचना और विकास निधि को 500 करोड़ रुपये की राशि का आवश्यक अंतरण।